

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01122020-223416 CG-DL-E-01122020-223416

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3778]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 28, 2020/अग्रहायण 7, 1942

No. 3778]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 28, 2020/AGRAHAYANA 7, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2020

का.आ. 4283(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 435 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दायर किए गए मामलों के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तिमलनाडु राज्यों में नीचे तालिका में उल्लिखित निम्नलिखित न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित करती है, अर्थात्:—

तालिका

क्र.सं.	न्यायालय
(1)	(2)
1.	न्यायालय संख्या 22, सिटी सिविल और सत्र न्यायालय, मुंबई
2.	न्यायालय संख्या 39, सिटी सिविल और सत्र न्यायालय, ग्रेटर मुंबई
3.	5वां विशेष न्यायालय, कलकत्ता
4.	प्रधान न्यायाधीश, सिटी सिविल न्यायालय, चेन्नई

[फा. सं. 01/12/2009-सीएल-I(खंड.IV)] के.वी.आर. मुर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2020

S.O. 4283(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 435 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby designates the following Courts mentioned in the Table below as Special Courts in the States of Maharashtra, West Bengal and Tamil Nadu for the purposes of trial of offences under this Act, in respect of cases filed by the Securities and Exchange Board of India, namely:—

TABLE

Sl. No.	Court	
(1)	(2)	
1	Court number 22, City Civil and Sessions Court, Mumbai	
2	Court number 39, City Civil and Sessions Court, Greater Mumbai	
3	5 th Special Court, Calcutta	
4	Principal Judge, City Civil Court, Chennai	

[F. No. 01/12/2009-CL-I (Vol.IV)]

K.V. R. MURTY, Jt. Secy.